न्यायालय अपर सिविल जज (सी०डी०) कोर्ट सं०–09
मूलवाद नं०–717/2019
किरण सिंह आदि बनाम श्रीमती प्रभा आदि

01.02.2025

पत्रावली पेश हुई। वादी को प्रार्थना पत्र 35 क पर पूर्व में सुना जा चुका है। पत्रावली आज प्रार्थना पत्र 35 क आदेश हेतु नियत है।

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 35 क इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त वाद में दिनांक–25.11.2023 को वाद बिन्दु सं०–3 व 4 का निस्तारण करते हुए वादी को आदेशित किया गया था कि वाद के मूल्यांकन के सम्बन्ध में मुन्सरिम की आख्या के अनुरूप वाद का मूल्यांकन 11,70,000/– रूपये व याचिका अनुतोष निरस्तीकरण विक्रय पत्र पर कुल मूल्यांकन 11,70,000/– रूपये के 1/5 भाग 2,34,000/– रूपये पर 17,957.50/–रूपये का मूल्यांकन वादी अदा करने के लिये तैयार है। इसलिये वाद मे संशोधन किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

वादपत्र में निम्न संशोधन करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें–वाद पत्र की धारा–15 की अन्तिम पंक्ति में न्यायशुल्क अंक –625.75/–काटा जाकर उसके स्थान पर अंकन "17957.50" लिखा जावे।

प्रतिवादीगण का उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर आपत्ति का अवसर दिनांक 23.11.2024 को समाप्त किया जा चुका है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र वादपत्र में वांछित संशोधन कराये जाने हेतु योजित किया है। प्रस्तावित संशोधन मात्र औपचारिक प्रकृति का है व वाद के निस्तारण हेतु आवश्यक है। उपरोक्त संशोधन से वाद की मूल प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः न्यायहित में वादी का प्रार्थनापत्र 35 क स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

वादी का प्रार्थनापत्र 35 क स्वीकार किया जाता है। वादी वांछित संशोधन अविलंब करना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 03.04.2025 को पेश हो।

(नितिशा चौधरी)
अपर सिविल जज (सी०डी०)
कोर्ट सं०–09, मेरठ।
जे०ओ० कोड यू०पी० 2599

This is uncertified copy for information/reference.

For authentic copy Please refer to certified copy only.

Digitally signed by NITISHA
CHAUDHARY
Date: 2025.02.01 17:01:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court